न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– **122 / 2024**

CCMS NO. 2024/[illegible]

वीर सिंह यादव पुत्र रामकुमार, उम्र 66 वर्ष, जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम [illegible], तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)

............वादी

– बनाम –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी, तहसील – खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.)
2. सुरेश कुमार यादव पुत्र रामकुमार
3. सुमन कुमारी पुत्री रामकुमार
4. कमला पुत्री चेतराम
5. गजराज पुत्र चेतराम
6. रणधीर पुत्र चेतराम
7. कमला पुत्री फुल सिंह
8. भरपाई पुत्री फुल सिंह
9. शकुन्तला पुत्री फुल सिंह
10. सुन्दर सिंह पुत्र फुल सिंह

(2 लगायत 10) लगायत 10 जाति– अहीर (यादव) निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.)

.... प्रतिवादीगण

वाद – घोषणात्मक एवं नाम दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं
धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकीलवादी – श्री हेमराज सिंह

वकीलप्रतिवादीगण – श्री सन्त कुमार

–: निर्णय :– **दिनांक :– 09.12.2025**

उपर्युक्त उनवानी वाद पत्र वादी की ओर से पेश किया गया है कि वाके ग्राम– गणेशपुरा, पटवार हल्का रवां, भू–अभि.नि.क्षेत्र– दूधवा नांगलिया, तहसील– खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित जमाबन्दी अन्तिम चौसाला सम्वत् 2074 लगायत 2077 के हाल खाता संख्या नया 101 के हाल खसरा नम्बर 16 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 176 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 81 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, कुल किता खसरा 6 कुल रकबा 1.5800 हैक्टेयर भूमि में वादी की माता सन्तरा देवी (गिन्दोड़ी) पुत्री चेतराम पत्नी रामकुमार, हाल निवासी ग्राम – सांतोर, तहसील– बुहाना, जिला– झुन्झुनू (राज.) 1/6 हिस्सा की खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एवं शेष हिस्सा अन्य सह खातेदारान के नाम दर्ज राजस्व [illegible]। उपरोक्त वर्णित भूमि में सहवन से टंकणीय त्रुटि के कारण या राजस्व [illegible] की गलती से वादी की माता का नाम 'सन्तरा देवी पुत्री चेतराम' के स्थान पर 'गिन्दोड़ी पुत्री चेतराम' दर्ज हो गया जबकि वादी की माता का वास्तविक सही नाम 'स[illegible]' है जो वादी की माता के समस्त दस्तावेज व अन्य रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वादी की माता फौत हो चुकी है इसलिए वादी राजस्व रिकॉर्ड में अपनी माता के सही नाम की उदघोषणा करवाने के लिए वाद–पत्र पेश कर रहा है। वादी की माता के मृत्यु प्रमाण–पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, आदि में वादी की माता का नाम 'सन्तरा देवी पत्नी रामकुमार' ही दर्ज है केवल

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 16:04:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकॉर्ड में ही वादी की माता का नाम गलत दर्ज है। सरपंच का प्रमाण–पत्र संलग्न है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी की माता का नाम गलत दर्ज होने से वादी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में वादी की माता का नाम अलग–अलग दर्ज होने से वादी को विरासत का नामान्तरण दर्ज करवाने में काफी परेशानी आ रही है। वादी को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे व भूमि पर किसान कार्ड बनवाने में परेशानी होती है व वादी राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है, वादी को अपूर्तनीय क्षति हो रही है, इसलिए वादी को अपनी माता के सही नाम की उदघोषणा करवाने बाबत यह वाद–पत्र बाबत घोषणात्मक पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम– गणेशपुरा, पटवार हल्का– रवां, भू–अभि.नि.क्षेत्र– दूधवा नांगलिया, तहसील– खेतड़ी, जिला– झुन्झुनू (राज.) स्थित जमाबन्दी अन्तिम चौसाला सम्वत् 2074 लगायत 2077 के हाल खाता संख्या नया 101 दर्ज हाल खसरा नम्बरान क्रमशः खसरा नम्बर 16 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 176 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 81 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, कुल किता खसरा 6 कुल रकबा 1.5800 हैक्टेयर भूमि में वादी की माता का नाम 'गिन्दोड़ी पुत्री चेतराम' के स्थान पर वादी की माता के सही नाम 'सन्तरा देवी पुत्री चेतराम पत्नी रामकुमार' की उदघोषणा की जावे तथा तदुपरान्त राजस्व रिकॉर्ड में वादी की माता का नाम दुरुस्त कर तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं0 02 लगायत 10 की और से इकबालिया जवाब पेश किया गया।प्रतिवादी सं. 01 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./2025/3702 दिनांक 18.11.2025 से बिन्दूवार जांच रिपोर्ट मय पटवारी हल्का रवां की मूल रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है जो बाद शामिल पत्रावली की गई।

वादी की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता सं. नया 101 ग्राम गणेशपुरा तथा वादी की माता के वोटर आईडी कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक पास बुक एवं वादी के आधार कार्ड की फोटोप्रति पेश की।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार खेतड़ी व पटवार हल्का रवां की बिन्दूवार जांच रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार खेतड़ी के पत्र भू.अ./2025/3702 दिनांक 18.11.2025 की जांच रिपोर्ट के द्वारा जमाबंदी सम्वत 2074–2077 खाता सं. नया 101 ग्राम गणेशपुरा में दर्ज वादी की माता का नाम **गिन्दोड़ी पुत्री चेतराम** के स्थान पर **सन्तरा देवी पुत्री चेतराम** दुरूस्त किये जानी की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक वाद वादी स्वीकार कर डिक्री योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम **गणेशपुरा** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के हाल खाता संख्या 101 में वर्तमान में दर्ज वादी की माता का नाम **गिन्दोड़ी पुत्री चेतराम** के स्थान पर **सन्तरा देवी पुत्री चेतराम** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातें में शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **09–12–2025** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 16:04:13 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

बंशी

– ब ना म –

प्रकाश आदि

दावा **बाबत** घोषणात्मक नाम दुरूस्ती
मुकदमा नम्बर :– 122 / 2024 GCMS No. – 2024/328
निर्णय दिनांक :– 09 / 12 / 25

वादी की ओर से श्री हेमराज सिंह एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 01 की और से स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09 / 12 / 25 को मेरे समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि : –

"वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम **गणेशपुरा** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के हाल खाता संख्या 101 में दर्ज वादी की माता का नाम **गिन्दोड़ी पुत्री चेतराम** के स्थान पर **सन्तरा देवी पुत्री चेतराम** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातें में शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।"
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **09.12.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 16:04:13 IST
Reason: SelfAttested